

26-2
 सं.यो.सा.वि./306(10)/2015-16/122
 संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
 योजना एवं सांख्यिकी विभाग,
 सचिवालय, मोटी दमण - 396220.


दिनांक : 04/05/2015

संदर्भ : महा रजिस्ट्रार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली- 110 066 के कार्यालय से प्राप्त पत्र सं.1/12/2014-वीएस (सीआरएस)-802 दिनांक : 01/04/2015
 विषय : जन्म एवं मृत्यु और मृत जन्म के रिपोर्टिंग प्रपत्र और जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र में यूआईडी संख्या का समावेश करने के संबंध में ।

प रि प त्र

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कार्य कर रहे सभी कार्यकर्ताओं के ध्यान में यह लाया जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी सेवाओं को आधार या यूआईडी संख्या के अभाव में केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा इनकार नहीं किया जाना चाहिए । उपरोक्तानुसार आप से अनुरोध है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने से आधार या यूआईडी संख्या के अभाव में वंचित न रह जाए यह सुनिश्चित करें ।

उपर्युक्त निर्देश का सख्त अनुपालन आवश्यक कदम लेकर किया जाय ।



(डॉ. एस. डी. भारद्वाज)

उप निदेशक (योजना एवं सांख्यिकी)/
 अपर मुख्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकार

प्रतिलिपि :

1. सचिव (योजना) एवं मुख्य पंजीकार , जन्म एवं मृत्यु, सचिवालय, दमण एवं दीव ।
2. समाहर्ता एवं जिला पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु, सचिवालय, दमण एवं दीव ।
3. उप महा पंजीकार (सी. आर. एस.), गृह मंत्रालय, महा पंजीकार का कार्यालय, भारत, भारत सरकार, वाईटल सांख्यिकी प्रभाग, वेस्ट ब्लॉक -1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली- 110 066 ।
4. निदेशक, जनगणना कार्य, गुजरात, गृह मंत्रालय, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, सेक्टर 10/ए, गांधीनगर - 382010 ।
5. खंड विकास अधिकारी एवं अपर जिला पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु, दमण/ दीव जिला ।
6. सभी पंजीकार , जन्म एवं मृत्यु, दमण एवं दीव ।